

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)
(नई पेंशन स्कीम)

एनपीएस.1 केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 31.12.2013 या उससे पूर्व नियुक्त हुए सरकारी कर्मचारियों पर लागू होती है। क्या 31/12/2003 के बाद भारत सरकार के पेंशन देने वाले प्रतिष्ठानों में कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारी इस नियमावली के तहत किसी लाभ के पात्र हैं?

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं 38/41/06-पी एंड पीडब्लू (ए) के अनुसार दिनांक 31/12/2003 के बाद कार्यग्रहण करने वाले कर्मचारियों और / या उनके परिवारों को मृत्यु / चोट लगने पर, नियमों को अंतिम रूप देने तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत अस्थायी तौर पर निःशक्तता पेंशन या कुटुंब पेंशन का लाभ दिया जा सकता है।

एनपीएस.2 एनपीएस के तहत आने वाले मृतक सरकारी कर्मचारियों की बकाया राशि के निपटान के संबंध में क्या दिशा निर्देश/आदेश हैं?

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 38 /41 / 06- पी एंड पीडब्लू (ए) (वेबसाइट पर उपलब्ध) के अनुसार केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली के लाभों को एनपीएस के तहत आने वाले मृतक कर्मचारियों के परिवारों के लिए भी अस्थायी तौर पर लागू कर दिया गया है। यदि मृतक कर्मचारी एनपीएस के तहत कवर था, और निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, तो दिनांक 05.05.2009 के कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुरूप मृतक कर्मचारी के परिवार को कुटुंब पेंशन/उपदान देय होगा। ये भुगतान अनंतिम हैं और उन्हें अंतिम प्रावधानों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। कार्यालय ज्ञापन के पैरा 7 के अनुसार, एनपीएस के तहत आने वाले मृतक कर्मचारी की जमा पेंशन राशि का उस अवधि के दौरान भुगतान नहीं किया जाएगा, जब तक उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के तहत देय अनंतिम लाभ का भुगतान किया जाता है। कार्यालयाध्यक्ष, सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुरूप पेंशन कागज़ात तैयार करेंगे और दिनांक 29.9.2009 के शुद्धि पत्र के साथ पठित वित्त मंत्रालय के दिनांक 2.7.2009 के कार्यालय ज्ञापन सं. 1 (7)/ डीसीपीएस(एनपीएस)/2009 /टीए/221 में वर्णित पात्र सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को अनंतिम भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेंगे।